

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत डारमडा कि 3 दी मुकाम राजा रो

शरलोट बनाम जेजय वर

किस्म मुकदमा प्रां. प्र. 212/23 नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
29/12/23	<p>मूल राजस्व वाद वापिसों की ओर से उन्ही सप्ल में लक्ष्मी लाल द्वारा जारी अधिवक्ता प्रहलद प्रबोधिष के द्वारा जर खारिज किया जा चुका है अतः मुकदमा की रेशनी में प्रां. प्र. 212/23 इस तरह पर खारिज किया जाता है दिनांक 20/12/23 को जारी स्वतंत्र की खारिजी केवल पत्रिका लक्ष्मी लाल सप्लों को जारी हो। पत्रिका के शक शुभार होकर मूल पत्रिका के साथ संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;">↑</p>	<p>म. प्र. की ओर Identified A</p>

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत डायरेक्टोरेट ऑफ़ मुकाम राजा रोड

गेशलीमट बनाम बेजय वरमा

किस्म मुकदमा प्रां.पं. 212/23 नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
29/12/23	<p>मूल राजस्व वाद वार्डनों की ओर से अर्जी सप्ल में लक्ष्मीलाल द्वारा जजि अधिकतर प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर खारिज किया जा चुका है अतः मुकदमा की रेशनी में प्रां.पं. 212/23 इस तरह पर खारिज किया जाता है दिनांक 20/12/23 को जारी स्वतंत्र की खारिजी केवल पत्रिका लक्ष्मीलाल सप्लों को जारी हो। पत्रिका केवल मुद्रा होकर मूल पत्रिका के साथ संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;">↑</p>	<p>मदनी रीजट Identified J</p>